



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 13.11.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 469/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.11.2023 को थाना खेकड़ा पर वादी धर्मवीर पुत्र जयराम निवासी पट्टी रामपुर कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा ने सूचना दी कि दिनांक 10.11.23 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने डाकखाना वाली गली कस्बा खेकड़ा से उसकी मोटर साईकिल स्प्लेण्डर नं0 UP-17F-8437 चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 469/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 469/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गयी एक मोटर साईकिल स्प्लेण्डर नं0 UP-17F-8437 बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी रामपुर करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 107/22 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 185/23 धारा 414/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 469/23 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 289/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटर साईकिल स्प्लेन्डर नं0 UP-17F-8437

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री धर्मपाल शर्मा थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 442 आफाक थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 339 राकेश कुमार थाना खेकडा ।
- 4-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 13.11.2023

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आर्यन पुत्र संजीव निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 15/23 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 115/23 धारा 379/380/411 भादवि व 25/3/4 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 228/23 धारा 380/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 36/23 धारा 380/427 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 63/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 75/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 302/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना रमाला ।

2- का0 801 भूपेन्द्र थाना रमाला ।

3- का0 913 शंकरलाल थाना रमाला ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 13.11.2023

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र संजीव निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 15/23 धारा 136 विधुत अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 115/23 धारा 379/380/411 भादवि व 25/3/4 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 228/23 धारा 380/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 36/23 धारा 380/427 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 63/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 75/23 धारा 379 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 303/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।